तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्टेट /नत्थुराम किस्म मुकदमा राजस्व विविध (रिमाण्ड प्रकरण आर.ए.ए. पत्रावली राजस्व शाखा एफ.12–3(35)राजस्व/स.प./08) मुकदमा संख्या –/14 04/19/10.6.19 ( ) श्री राजपैरोकार एड श्री लक्ष्मणदान बीठू एड	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आदेश

10.06.19

1. माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा निर्णित अपील सं. 19/10 दिनांक 13.10.14 (रिमाण्ड प्रकरण) इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दिनांक 24.11.14 को उभयपक्षकारान को तलब किया गया।

2. माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपने निर्णय में अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया जावे । समुचित अवसर दिये जाने के उपरांत वकील अप्रार्थी के उपस्थित नहीं आने पर विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गयी।

3. विभागीय प्रतिनिधि ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र सं. प.2 (230) राज/ भू–रूपान्तरण / 2010 दिनांक 3.10.11 में उल्लेखित कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि शासन स्तर पर प्रकरण का विधिक परीक्षण किया गया है। निरीक्षक राजस्व लेखा,अजमेंर का ऑडिट आक्षेप उचित है क्योंकि जब संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया थां, उस समय छूट का प्रावधान अस्तित्व में नहीं था। इसलिए प्रार्थी से अंतर राशि मय ब्याज वसूल किया जाना उचित रहेगा। अप्रार्थी को सुनवाई हेतु समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद उनकी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में इस कार्यालय का आदेश सं. एफ.12–3(35) राजस्व/2008/4249 दिनांक 23.09.2010 उचित है। अतः पूर्व जारी आदेश की पुष्टि करते हुए प्रकरण का निस्तारण फरमावे ताकि राज्य सरकार को किसी प्रकार की राजस्व हानि नहीं हो।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया। माननीय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.10.14 का भी ससम्मान अवलोकन किया। माननीय न्यायालय के निर्णयोपरांत सुनवाई हेतु लगभग साढे चार वर्ष तक अप्रार्थी / उनके विद्वान अधिवक्ता को निरन्तर 42 अवसर दिये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया जिसके आधार पर इस कार्यालय द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 23.09.2010 में किसी प्रकार का संशोधन किया जा सके।

5. प्रकरण के अद्योपांत अवलोकन/मनन करने के उपरांत यह समुचित प्रतीत होता है कि जिला कलेक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.12–3(35) राजस्व/08/6855–61 दिनांक 23.12.08 जिसके द्वारा राजस्थान भू–राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के तहत खातेदारी भूमि ग्राम नौरंगदेसर तहसील बीकानेर खसरा नं 657 रकबा 3.8500 हेक्टर औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित हुई है, प्रकरण में प्रार्थी द्वारा राजस्थान इंन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2003 के तहत जिला उद्योग केन्द्र बीकानेर के प्रमाण पत्र सं. 2008–09/60 दिनांक 30.10.08 के कम में 50 प्रतिशत जमा संपरिवर्तन शुल्क संपरिवर्तन नियम 8(3) विलोपित कर दिये जाने के कारण छूट लागू नहीं थीं। अतः अंतर राशि की मांग कायमी आदेश की तिथी से 12 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल किये जाने योग्य है, जैसा कि राजस्व भूमि रूपांतरण विभाग राजस्थान जयपुर ने अपने पत्रांक 3.10.2011 में निर्देशित किया है। अतः इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेश यथावत रखा जाना हम न्यायोचित पाते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर कलक्टर कार्यालय द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 23.09.2010 यथावत रखा जाता है। आदेश आज दिनाक 10.06.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गयां। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर नंबर से कम हो। वाद जाब्ता दाखिर दफ्तर हो। राजस्व शाखा की पत्रावली सं. एफ.12–3 (35) राजस्व/संपरिवर्तन/08/श्री नत्थुराम पुत्र श्री रैवतराम मेघवाल साकिन सींथल, प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा को लौटायी जावे। प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा आदेशानुसार पालना सुनिश्चित करावे।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर

Scanned by CamScanner